

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-बालोद (छ.ग.)

Phone No. - 07749-223970, Email - Balod.cg@gov.in

// आदेश //

क्रमांक/५३३८/एस.डब्ल्यू/२०२०/

बालोद, दिनांक ०५ जुलाई २०२०

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/३३७९९/एस.डब्ल्यू/२०२० बालोद दिनांक ०२.०६.२०२० द्वारा स्कूल परिसर ग्राम-झुरहाटोला (कुंआगोदी), तहसील-डौण्डी, जिला-बालोद के निर्धारित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी डौण्डीलोहारा के पत्र क्रमांक/१०१७/प्र.अनु.दण्डा./२०२० डौण्डीलोहारा, दिनांक ०२.०७.२०२० के उल्लेखानुसार खण्ड चिकित्सा अधिकारी डौण्डीलोहारा के संयुक्त प्रतिवेदन अनुसार वर्तमान में ग्राम-झुरहाटोला (कुंआगोदी) के सभी कंटेनमेंट जोन की २८ दिन की अवधि पूर्ण हो चुकी है एवं कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के प्रारंभिक संपर्क में आये ०८ व्यक्तियों का जॉच रिपोर्ट भी निगेटिव है। उपचार पश्चात् दोनों पॉजिटिव व्यक्तियों की रिपोर्ट भी निगेटिव है। ग्राम-झुरहाटोला (कुंआगोदी) में कोरोना संक्रमण संबंधी कोई लक्षण नहीं दिखाई दिये हैं, जिसके कारण तहसील-डौण्डी, क्षेत्र अंतर्गत स्कूल परिसर ग्राम-झुरहाटोला (कुंआगोदी) में कंटेनमेंट जोन को समाप्त किया जा सकता है।

अतः अनुविभागीय दण्डाधिकारी डौण्डीलोहारा के प्रस्ताव के आधार पर स्कूल परिसर ग्राम-झुरहाटोला (कुंआगोदी), तहसील डौण्डी जिला-बालोद में निर्धारित क्षेत्र में घोषित कंटेनमेंट जोन को दिनांक ०३.०७.२०२० की मध्य रात्रि से खोले जाने का आदेश जारी किया जाता है।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)


B कलेक्टर ५/७/२०२०  
एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला-बालोद (छ.ग.)  
बालोद, दिनांक ०५ जुलाई २०२०

पृष्ठ क्रमांक/०५३३८/एस.डब्ल्यू/२०२०

प्रतिलिपि :-

१. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग, की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
२. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
३. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
४. आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
५. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज दुर्ग की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
६. पुलिस अधीक्षक जिला-बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
७. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बालोद/गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद को सूचनार्थ प्रेषित।
11. जिला सूचना अधिकारी बालोद को शासन द्वारा निर्धारित वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।
12. उपसंचालक, जनसम्पर्क बालोद को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।
13. तहसीलदार सर्व जिला बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सर्व जिला बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, न.पा.प. बालोद/दल्लीराजहरा एवं न.पं /गुरुर/गुण्डरदेही/अर्जुन्दा/डौण्डीलोहारा/डौण्डी/चिखलाकसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. स्टैनो टू-कलेक्टर जिला बालोद को सूचनार्थ।
17. सर्व संबंधितों को पालनार्थ प्रेषित।
18. कार्यालयीन प्रति।

  
 कलेक्टर 4/7/2020  
 एवं जिला दण्डाधिकारी  
 जिला-बालोद (छ.ग.)